न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 08/2021

उनवान

श्रीमती धुलीबाई पत्नि लालुजी नंगारची (ढोली) उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सोहनदेवी पत्नि शंकरलाल जी मेघवाल उम्र बालिग निवासी गुडेल तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर
2. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दि.

—::निर्णय::—

दिनांकः—27.03.2024

उपस्थितिः श्री रणजीत पूर्बिया अधिवक्ता— प्रार्थी
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता— विपक्षी सं. 1

प्राथी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि—

1. प्रकरण संख्या 26/2012 श्रीमती धुलीबाई बनाम सोहनदेवी उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीया/वादीया द्वारा एक वाद पत्र वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत विपक्षी / प्रतिवादीया के खिलाफ दिनांक 07—05—2012 को आप श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
2. यह कि उक्त अनवान प्रकरण में वादीया के वकील रणजीत पुर्बिया वादीया की ओर से पैरवी करने हेतु नियत थे, एवं उक्त वाद पत्र मे दिनांक 06.06.2016 तक मेरे अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण मे बराबर पैरवी की तदपरान्त उक्त दिनांक को उक्त पत्रावली की आगामी पेशी दिनांक 14.06.2016 को लोक अदालत अभियान के तहत आयोजित केम्प कोर्ट गुडेल में रखी गयी।
3. यह कि उक्त दिनांक को मेरे अधिवक्ता किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर होने के कारण केम्प कोर्ट गुडेल मे उपस्थित नहीं हो सके व इस बात की मुझ प्रार्थीया/वादीया को जानकारी नहीं होने से मैं प्रार्थीया भी उस पेशी दिनांक को केम्प कोर्ट गुड़ेल मे उपस्थित नहीं हो सकी।
4. यह कि उक्त प्रकरण मे 2016 तक पैरवी करने के पश्चात् प्रार्थीया/वादीया के वकील ने कभी भी उक्त प्रकरण में प्रार्थीया/वादीया को श्रीमान न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा व न हीं किसी प्रकार की कोई पेशी प्रार्थीया/वादीया के वकील द्वारा प्रार्थीया/वादीया को बताई गई।
5. यह कि उक्त वाद में प्रार्थीया/वादीया के वकील साहब ने न्यायालय द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिये प्रार्थीया/वादीया को सुचित नही किया एवं इसी दरम्यान दिनांक

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

20–08–16 को मुझ प्रार्थीया/वादीया के बड़े पुत्र शंकर की अचानक असामयिक मृत्यु हो गई। जिस कारण प्रार्थीया/वादीया की जाति मान्यता व परम्परा अनुसार प्रार्थीया/वादीया करीब एक वर्ष तक घर से नही निकल पायी व इसी कारण मेरे अधिवक्ता से भी सम्पर्क नही कर पायी ना ही उन्हें सुचित ही कर पायी एवं न्यायालय द्वारा उक्त किये गये आदेश की प्रार्थीया/वादीया को कोई जानकारी भी नहीं थी, इस पर अभी कुछ दिन पहले न्यायालय में मेरे मुकदमे के बारे में पता किया तो वहा से मुझे बताया गया कि आप का मुकदमा तो चार वर्ष पूर्व ही खारिज कर दिया गया है, जब प्रार्थीया / वादीया ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर उनके द्वारा न्यायालय में आदेशिका व संपूर्ण पत्रावली की नकल का प्रार्थनापत्र दिनांक 02–09–2020 को लगाया जिस पर दिनांक 02–12–2020 को उक्त नकल प्रार्थीया/वादीया को प्राप्त हुई, जिस पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण तो चार वर्ष पूर्व हि दिनांक 14.06.2016 को यह कहकर केम्प कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया कि– पत्रावली पेश हुई वादीया स्वयं या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं, प्रतिवादी मय वकील अनुपस्थित बार–बार आवाज लगाने पर भी वादीया व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है अतः वादीया का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। उक्त बात जब प्रार्थीया/वादीया को ज्ञात हुई तो वह काफी आहत होकर अपने मुकदमे में सही पैरवी नहीं किए जाने से वकील साहब से संपर्क किया तो वकील साहब ने कहा कि आप की फाइल फैसल हो चुकी है, मैंने आपसे सम्पर्क करने कि बहुत कोशिश की मगर सम्पर्क नहीं हो पाया और तुम अपनी ऑफिस फाइल यहा से लेकर जा सकती हो।

6. यह कि प्रार्थीया/वादिया द्वारा दिनांक 02/09/2020 को वादपत्र व आदेशिका की नकल का प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय में लगाई गई थी, जिस पर उक्त आदेशिका व संपूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 02/12/2020 को प्राप्त होने पर प्रथम बार पत्रावली के खारिज होने की जानकारी प्रार्थीया/वादीया को हुई। जिस पर प्रार्थीया/वादीया ने अपने अधिवक्ता से युक्तियुक्त कानूनी राय लेकर बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में अन्दर मयाद पेश कि हैं, जिसके स्वीकार किए जाने की पूर्ण संभावना है।

7. यह कि उक्त अनवान प्रकरण मे दिनांक 14.06.2016 को ही पत्रावली न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दी गई थी। परंतु उक्त अनवान प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज फरमा दिया गया इसलिए भी उक्त प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी देरी के समय को क्षम्य किए जाने हेतु पृथक से श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में न्यायहित मे प्रार्थीया/वादिया धुलीबाई पत्नि लालुजी नंगारची (ढोली) उम्र बालीग निवासी गुडेल तह. सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश प्रदान करावे।

साथ ही वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पेश कर अंकित किया कि–

1. प्रकरण संख्या 26/2012 श्रीमती धुलीबाई बनाम सोहनदेवी के उपरोक्त अनवान प्रकरण मे वादीया / प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 दि.प्र.स. कर प्रस्तुत किया गया है। जो निश्चित ही स्वीकार होगा।
2. यह कि उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीया/वादीया द्वारा एक वाद पत्र वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत विपक्षी / प्रतिवादीया के खिलाफ दिनांक 07–05–2012 को आप श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

3. यह कि उक्त अनवान प्रकरण में वादीया के वकील रणजीत पुर्बिया वादीया की ओर से पैरवी करने हेतु नियत थे, एवं उक्त वाद पत्र मे दिनांक 06.06.2016 तक मेरे अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण मे बराबर पैरवी की तदपरान्त उक्त दिनांक को उक्त पत्रावली की आगामी पेशी दिनांक 14.06.2016 को लोक अदालत अभियान के तहत आयोजित केम्प कोर्ट गुडेल में रखी गयी।

4. यह कि उक्त दिनांक को मेरे अधिवक्ता किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर होने के कारण केम्प कोर्ट गुडेल मे उपस्थित नहीं हो सके व इस बात की मुझ प्रार्थीया / वादीया को जानकारी नहीं होने से मैं प्रार्थीया भी उस पेशी दिनांक को केम्प कोर्ट गुड़ेल मे उपस्थित नहीं हो सकी।

5. यह कि उक्त प्रकरण मे 2016 तक पैरवी करने के पश्चात् प्रार्थीया / वादीया के वकील ने कभी भी उक्त प्रकरण में प्रार्थीया / वादीया को श्रीमान न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा व न हीं किसी प्रकार की कोई पेशी प्रार्थीया / वादीया के वकील द्वारा प्रार्थीया / वादीया को बताई गई।

6. यह कि उक्त वाद में प्रार्थीया / वादीया के वकील साहब ने न्यायालय द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिये प्रार्थीया / वादीया को सुचित नही किया एवं इसी दरम्यान दिनांक 20–08–16 को मुझ प्रार्थीया / वादीया के बड़े पुत्र शंकर की अचानक असामयिक मृत्यु हो गई। जिस कारण प्रार्थीया / वादीया की जाति मान्यता व परम्परा अनुसार प्रार्थीया / वादीया करीब एक वर्ष तक घर से नही निकल पायी व इसी कारण मेरे अधिवक्ता से भी सम्पर्क नही कर पायी ना ही उन्हें सुचित ही कर पायी एवं न्यायालय द्वारा उक्त किये गये आदेश की प्रार्थीया / वादीया को कोई जानकारी भी नहीं थी, इस पर अभी कुछ दिन पहले न्यायालय में मेरे मुकदमे के बारे में पता किया तो वहा से मुझे बताया गया कि आप का मुकदमा तो चार वर्ष पूर्व ही खारिज कर दिया गया है, जब प्रार्थीया / वादीया ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर उनके द्वारा न्यायालय में आदेशिका व संपूर्ण पत्रावली की नकल का प्रार्थनापत्र दिनांक 02–09–2020 को लगाया जिस पर दिनांक 02–12–2020 को उक्त नकल प्रार्थीया / वादीया को प्राप्त हुई, जिस पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण तो चार वर्ष पूर्व हि दिनांक 14.06.2016 को यह कहकर केम्प कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया कि– पत्रावली पेश हुई वादीया स्वयं या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं, प्रतिवादी मय वकील अनुपस्थित बार–बार आवाज लगाने पर भी वादीया व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है अतः वादीया का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। उक्त बात जब प्रार्थीया / वादीया को ज्ञात हुई तो वह काफी आहत होकर अपने मुकदमे में सही पैरवी नहीं किए जाने से वकील साहब से संपर्क किया तो वकील साहब ने कहा कि आप की फाइल फैसल हो चुकी है, मैंने आपसे सम्पर्क करने कि बहुत कोशिश की मगर सम्पर्क नहीं हो पाया और तुम अपनी ऑफिस फाइल यहा से लेकर जा सकती हो।

7. यह कि प्रार्थीया / वादिया द्वारा दिनांक 02 / 09 / 2020 को वादपत्र व आदेशिका की नकल का प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय में लगाई गई थी, जिस पर उक्त आदेशिका व संपूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 02 / 12 / 2020 को प्राप्त होने पर प्रथम बार पत्रावली के खारिज होने की जानकारी प्रार्थीया / वादीया को हुई। जिस पर प्रार्थीया / वादीया ने अपने अधिवक्ता से युक्तियुक्त कानूनी राय लेकर बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में अन्दर मयाद पेश कि हैं, जिसके स्वीकार किए जाने की पूर्ण संभावना है।

8. यह कि उक्त अनवान प्रकरण में दिनांक 14.06.2016 को ही पत्रावली न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दी गई थी। परंतु उक्त अनवान प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज फरमा दिया गया इसलिए भी उक्त प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी देरी के समय को क्षम्य किए जाने हेतु पृथक से श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में न्यायहित मे प्रार्थीया/वादिया धुलीबाई पत्नि लालुजी नंगारची (ढोली) उम्र बालीग निवासी गुडेल तह. सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर धारा 5 मयाद अधिनियम का लाभ दिये जाने का आदेश फरमाकर उक्त देरी को क्षम्य किया जावे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलवी हेतु नोटिस/समन जारी किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से आदेशिका दिनांक 05–04–2021 को अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जवाब विपक्षी निम्न प्रकार रहा–

1. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 1 एक स्वीकार है।
2. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 2 दो स्वीकार है एवं प्रार्थिया को लोक अदालत केम्प उसी के गांव गुडेल का पेशी का समन दिनांक 14–06–2020 का मिला था एवं प्रार्थिया को पेशी का पता था, प्रार्थिया जानबुझकर पेशी पर उपस्थित नहीं हुई इसलिये वादिनी का उक्त वाद न्यायालय ने दिनांक 14–06–2016 को सही निरस्त किया था।
3. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 3 तीन पूर्णतया असत्य होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थिया के वकील किस काम से सलुम्बर से बाहर गये थे, इसलिये केम्प कोर्ट गुडेल में पेशी पर हाजिर नहीं गये थे, कोई दस्तावेजी सिबुत प्रार्थिया ने इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है इसलिये वादिनी का उक्त वाद अदम हाजरी में सही निरस्त हुआ उसे पुनः नम्बर लिवाने की अधिकारी नहीं है। यदि वादिनी एवं उसके वकील साहब के कथनों में थोडी सी सत्यता होती तो दिनांक 17–06–2016 को अथवा दिनांक 18–06–2016 अथवा कभी भी पेशी का पता लगाकर उक्त वाद आदेश 9 नियम 8 जा.दी. में निरस्त किया गया उसे पुनः नम्बर में लेने का प्रार्थना पत्र पेश अवश्य कर सकती थी। वादिनी प्रार्थिया का वाद दिनांक 14–06–2016 को निरस्त किया गया था एवं यह प्रार्थना पत्र दिनांक 21–12–2020 को पुरे 4 वर्ष 8 माह 8 दिन बाद पेश किया है जो अवधि से परे होकर काबिल निरस्त के है।
4. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 4 चार पूर्णतया असत्य होने से स्वीकार नहीं है। कोई भी वकील अपने मुवक्किल को पेशी पर आने से कभी मना नहीं करता, वैसे मुवक्किल को अपने मुकदमें के बारे में होशियार एवं सगज रहना चाहिये एवं अपने मुकदमें की वकील से हर पेशी की जानकारी रखनी चाहिये।
5. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 5 पांच असत्य होने से स्वीकार नहीं है यदि प्रार्थिया का बेटा दिनांक 20–08–2016 को मर गया तो 13 दिन बाद वादिनी को अपने वकील से पेशी का पता लगाना चाहिये था, वादिनी पुरे 4 चार वर्ष 8 आठ माह 8 आठ दिन तक नींद क्यों निकाल रही थी, इसलिये उक्त वाद न्यायालय ने सही निरस्त किया उसे वादिनी पुनः नम्बर पर लिवाने की अधिकारी नहीं है। वादिनी ने जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में बताऐ है वो पर्याप्त कारण नहीं है। जिससे वादिनी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। शेष प्रार्थना पत्र गलत होने से स्वीकार नहीं है। उक्त वाद अदम हाजरी में निरस्त हुआ उसे पुनः नम्बर लिवाने की वादिनी अधिकारी नहीं है। आदेशिका का विवरण सही लिखा है।
6. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 6 छः अस्वीकार है। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 02–09–2020 को आदेशिका की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार नहीं है। 3 तीन माह तक नकल नहीं बनाना स्वीकार नहीं है। प्रार्थिया झुठ का सहारा लेकर इस वाद को पुनः नम्बर पर लिवाने की अधिकारी नहीं है। यदि प्रार्थिया को नकल दिनांक 02–12–2020 को प्राप्त हुई थी तो वादिनी को दिनांक 03–12–2020 को अथवा दिनांक 14 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर देना चाहिये था। वादिनी दिनांक 21–12–2020 तक 18 दिन तक प्रार्थना पत्र क्यों पेश नहीं किया इसका कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है इसलिये प्रार्थिया का यह प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

7. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 7 सात अस्वीकार है। धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्रार्थिया को तब मिलता हे जब प्रार्थिया पेशी का पता नहीं होता परन्तु इस प्रकरण में दिनांक 14–06–2020 केम्प कोर्ट गुडेल का प्रार्थिया के गांव में पेशी होने की तामिल प्रार्थिया पर हुई एवं उसे पेशी की पूर्ण जानकारी थी। जो प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है इसलिये प्रार्थिया धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

जवाब प्रार्थनापत्र के साथ विपक्षी ने धारा–05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर अंकित किया कि–

1. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 9 नियम 7 का प्रथम दृष्ट्या काबिल निरस्त के है क्योंकि वादिनी का वाद दिनांक 14–06–2016 को निरस्त हो चुका है। इसलिये आदेश 9 नियम 7 जा. दी. के प्रावधान लागु नहीं है।
2. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 2 दो स्वीकार है एवं वादिनी ने यह वाद दिनांक 07–05–2012 को पेश करना स्वीकार है एवं दिनांक 14–06–2026 को उक्त वाद निरस्त होना स्वीकार है एवं यह प्रार्थना पत्र दिनांक 21–12–2020 को पुरे 4 वर्ष 8 माह 8 दिन बाद पेश किया है जो प्रथम दृष्ठया काबिल निरस्त के है।
3. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 3 तीन स्वीकार है।
4. कि प्रार्थना पत्र की क्र. सं. 4 चार अस्वीकार है। प्रार्थिया खुद पर उक्त मामले में सुनवाई के लिये गांव गुडेल में केम्प रखा एवं केम्प की पेशी का समन वादिनी प्रार्थिया को दिनांक 14–06–2016 को मिला था, वादिनी के वकील किस काम से सलुम्बर से बाहर थे एव पेशी पर हाजिर नहीं थे। वादिनी खुद गांव गुडेल की निवासी है। प्रार्थना पत्र के साथ कोई सिबुत पेश नहीं किया है। जब पेशी पर वादिनी अथवा उसके वकील हाजिर नहीं थे तो न्यायालय ने उक्त वाद निरस्त किया था। इसके अलावा न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था।
5. कि न्यायालय ने सूचना पत्र से सूचित किया एवं सूचना पत्र प्रार्थिया को मिल चुका था तो फिर और कौनसी पेशी की सूचना की आवश्यकता थी। प्रार्थिया धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है एवं यह प्रार्थना पत्र बिना कारण के गलत पेश किया है जो काबिल निरस्त के है।
6. कि प्रार्थना पत्र की क्र.सं. 5 पांच असत्य होने से स्वीकार नहीं है। कोई भी वकील अपने मुवक्किल को पेशी पर आने से कभी मना नहीं करता है। यदि प्रार्थिया के वकील ने ऐसा कहा है तो प्रार्थिया को अपने वकील को न्यायालय में शपथ पत्र पेश करना चाहिये जो प्रार्थिया ने पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थिया के झुठ का पता लगता है।
7. कि प्रार्थना पत्र की क्र.सं. 6 छः मे वर्णित तथ्यों से प्रार्थिया को धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ नहीं मिल सकता शेष प्रार्थना पत्र गलत निराधार होने से स्वीकार नहीं है।
8. कि प्रार्थना पत्र की क्र.सं. 7 सात अस्वीकार है। यदि प्रार्थिया ने दिनांक 02–09–2020 को मु.नं. 26/12 रा.वा. के आदेशिका की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया एवं 7 सात नि में नकल नहीं मिली तो न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर सलूम्बर को प्रार्थिया को शिकायत करनी चाहिये थी कि उसे आज तक नकल नहीं की एवं उक्त वाद निरस्त हुआ उसे पुनः नम्बर पर लेने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है परन्तु यदि नकल बाबु वादिनी को नहीं दे रहा था गलत है। वादिनी ने पुरे 3 तीन माह बाद दिनांक 02–09–2020 से दिनांक 02–12–2020 तक नकल नहीं मिलना स्वीकार नहीं वादिनी को नहीं दे रहा था गलत है। वादिनी ने पुरे 3 तीन माह बाद दिनांक 02–09–2020 से दिनांक 02–12–2020 तक नकल नहीं मिलना स्वीकार नहीं वादिनी ने नकल ली नहीं। वादिनी की लापरवाही का लाभ उसे नहीं मिल सकता यदि प्रार्थिया का कथन सही भी मान लिया जाता है तो उसे दिनांक 03–12–2020 को नकल मिलते ही यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर देना चाहिये था। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया ने दिनांक 21–12–2020

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

को पेश किया है। वादिनी 19 दिन तक क्यों नींद निकाल रही थी। जिससे धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

9. कि प्रार्थना पत्र की क्र.सं. 8 आठ में वादिनी का वाद दिनांक 14–06–2016 को निरस्त होना स्वीकार है। जब वाद ही निरस्त हो जाता है उसके बाद पत्रावली फेसल शुमार की जाती है जो न्यायालय ने किया है। जहां तक प्रार्थिया को दिनांक 14–06–2016 कैम्प गुडेल पेशी की पूर्ण जानकारी थी उसे न्यायालय ने सूचना पत्र से सूचित किया एवं सूचना पत्र प्रार्थिया को मिल चुका था तो फिर और कौनसी पेशी की सूचना की आवश्यकता थी। प्रार्थिया धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है एवं यह प्रार्थना पत्र बिना कारण के गलत पेश किया है जो काबिल निरस्त के है। अतः प्रार्थिया गलत है एवं धारा 5 अवधि अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अन्त मे अधिवक्ता विपक्षी न विशेष कथन करते हुए अंकित किया कि– प्रार्थिया ने अपने इस धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कारण बतलाए है वो न तो पर्याप्त कारण है एवं नहीं उक्त धारा 5 अवधि अधिनियम का वादिनी लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाये।

पत्रावली मे मियाद का विषय होने के कारण सर्व प्रथम उभयपक्ष अधिवक्ता की धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना मे अंकित तथ्यो को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर धारा 5 मयाद अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दौहराया एवं निवेदन किया कि धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया द्वारा जो कारण बतलाए है वो न तो पर्याप्त कारण है एवं नहीं उक्त धारा 5 अवधि अधिनियम का वादिनी लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाये।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थिया का वाद दिनांक 14–06–2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज किया गया जिसके पश्चात उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा दिनांक 05–02–2020 को कुल 3 वर्ष 11 माह 22 दिन विलम्ब से पेश किया। प्रार्थिया द्वारा विलम्ब के जो कारण अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किये है वे पर्याप्त कारण प्रतीत नही होते है जिससे न्यायालय संतुष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया को विलम्ब हेतु धारा–5 अवधि अधिनियम का लाभ देना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर